न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस)

मुकदमा संख्या :- 31 / 2017

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री कमलेश भूतडा पुत्र प्रेमकिशोर भूतडा उम्र 45 वर्ष जाति महेश्वरी निवासी मोहता पाडा, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स रूपचन्द जीवनलाल सॉवल भाटिया भवन के पास, जैसलमेर (राज.) 3. मैसर्स आनन्द फूड प्रोजेक्ट, छोटी कन्या वेदीक पाठशाला के पास बागर चौक, जोधपुर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (II) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री कमलेश भूतडा।
3. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से श्री चेतन प्रकाश।

-:: निर्णय ::- दिनांकः 31.12.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (II) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.10.2018 को 11:00 एएम पर मैसर्स रूपचन्द जीवनलाल सॉवल भाटिया भवन के पास, जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स रूपचन्द जीवनलाल सॉवल भाटिया भवन के पास, जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री कमलेश भूतडा कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नही होना बताया। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर अमचूर पाउडर आनन्द ब्राण्ड को खादय प्रदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात अमचूर पाउडर आनन्द ब्राण्ड 500-500 ग्राम के चार पॉलीपैक लिये जिसके पेटे 800 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा अमचूर पाउडर आनन्द ब्राण्ड के 500-500 ग्राम की 04 थैली में से चार नमूने लिये पॉलीपैक

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड
एवं क्रमांक नम्बर एन-889 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये
एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और लेबलों को अलग-अलग खाकी
कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर शुदा पेपर
स्लीप एन-889 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोंद से
चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार
चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता
एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-889
अमचूर पाउडर आनन्द ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को
अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं
गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो
उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका
फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ
प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना
सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द
कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को हरीश पंवार कनिष्ठ सहायक के
द्वारा दिनांक 22.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन
आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे
में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर
फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ
संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के
आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 21.10.2018 को जमा
कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को
डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र
क्रमांक/एफएसएसए/2019/4556-59 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ
कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त
जांच रिपोर्ट संख्या L.S./725/Act/2018/741 दिनांक 30.10.2018 अनुसार उक्त
नमूना मीथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट
न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के
बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन-889/ के द्वारा आवेदक
खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु
प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री कमलेश भूतडा पुत्र

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

प्रेमकिशोर भूतड़ा उम्र 45 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी मोहता पाड़ा, जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स रूपचंद जीवनलाल सॉवल भाटिया भवन के पास, जैसलमेर (राज.) 3. मैसर्स आनन्द फूड प्रोजेक्ट, छोटी कन्या वेदीक पाठशाला के पास बागर चौक, जोधपुर (राज.) ने मीथ्याछाप अमचूर पाउडर आनन्द ब्राण्ड का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 20.11.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया कि अमचूर पाउडर आनन्द ब्राण्ड के जॉच हेतु दिये गये थे जो कि मीथ्याछाप पाया गया है। हमारे द्वारा पैक माल का विक्रय हेतु रखा गया था, हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है। नमुना जांच सामग्री को मेरे द्वारा मैसर्स आनन्द फूड प्रोडेक्ट, जोधपुर से पेक्ट खरीदा गया था, अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. अप्रार्थी संख्या 03 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 23.09.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया कि अमचूर पाउडर आनन्द ब्राण्ड का सेम्पल विक्रयकर्ता मैसर्स रूपचन्द जीवनलाल सॉवल, भाटिया भवन के पास, जैसलमेर के यहॉ से सेम्पल लिया गया। सेम्पल की प्रयोगशाला जॉच में सेम्पल खाने हेतु सही माना गया। इससे किसी के स्वास्थ्य के ऊपर कोई असर नही पडता है। लेकिन डिजाइण्ड ऑफिसर की जॉच में इसके पाऊच पर भूलवश छपाई में कोई कमी पाई गई जिससे मिसब्राण्ड पाया गया, पाऊच के ऊपर Nutrition अंकित नही था। और मेरे द्वारा इस गलती को सुधार कर लिया गया है जो जबाब के साथ संलग्न है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति पेश कर अर्ज है कि नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

4. प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्स पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./725/Act/2018/741 दिनांक 30.10.2018 के अनुसार अमचूर पाउडर आनन्द

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

ब्राण्ड का उक्त नमूना मीथ्याछाप पाया गया हैं। वही अप्रार्थीगण स्वयं द्वारा भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में जुर्म स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जुर्म स्वीकार करनें से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करनें अथवा साक्ष्य सबूत पेश करनें की आवश्यकता नही रही है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण पर मीथ्याछाप स्तर के अमचूर पाउडर आनन्द ब्राण्ड का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है । अतः अप्रार्थीगण 1. श्री कमलेश भूतडा जो मैसर्स रूपचंद जीवनलाल सॉवल भाटिया भवन के पास, जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर व अप्रार्थी संख्या 03 श्री चेतन प्रकाश जो मैसर्स आनन्द फूड प्रोडेक्ट, छोटी कन्या वेदीक पाठशाला के पास बागर चौक, जोधपुर फर्म के प्रापरोईटर द्वारा मीथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु अमचूर पाउडर आनन्द ब्राण्ड विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 5,000/- अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र व अप्रार्थी संख्या 03 पर 5,000/- अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी संख्या 01 व 03 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

Scanned by CamScanner